न्यायालय कलेक्टर नरसिंहपुर

क्रमांक/ 13646 /प्र0कले0/2001 नरसिंहपुर, दिनांक 12.11.2001

प्रति,

सचिव,
राजस्व मण्डल,
मध्यप्रदेश, ग्वालियर

विषय:- न्यायालय के राजस्व प्रकरण क्रमांक 62 अ/59 वर्ष 97/98 पारित आदेश दिनांक 29.1.97 के पुनर्विलोकन की अनुमति बावद्।

******

इस न्यायालय के राजस्व प्रकरण क्रमांक 62 अ/59 वर्ष 9 के अवलोकन में पाया गया कि इस जिले के अंतर्गत ग्राम बाघगोड़ी, नं0 392, तहसील-नरसिंहपुर स्थित ख0नं0 11 एवं 12, जो कि निजी भूमि काश्तकार के नाम दर्ज था, का रकवा 0.433 हे0 तत्कालीन नायब तहसीलदार नरसिंहपुर श्रीमति आभा सिंह द्वारा राजस्व प्रकरण क्र 1 अ/65 वर्ष 97/98 के अंतर्गत दिनांक 29.11.96 को दिये गये अप प्रतिवेदन में म0प्र0भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 237(2) के अंत अनुरक्षित घोषित की जाकर धारा 234/243 के तहत आबादी हेतु रखा जाना प्रस्तावित किया गया था जिसके आधार पर तत्कालीन कलेक्टर द्वारा अपने आदेश दिनांक 29.1.97 के द्वारा प्रश्नाधीन आबादी घोषित की गई किंतु बाद में संबंधित भूमिस्वामी द्वारा प्रस्तुत कर इस संबंध में न्यायालय को वस्तुस्थिति से अवगत कराया

2/ दोषी नायब तहसीलदार के विरूद्ध पृथक से कार्यवाही हेतु शासन को प्रस्ताव भेजा गया है किंतु तत्कालीन कलेक्टर द्वारा आदेश दिनांक 29.1.97 में भी संशोधन आवश्यक है। अतः कृपया भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 51(1)(एक) के तहत पुनर्विल अनुमति प्रदान करने का कष्ट करें।

कले

Xxxix(a)-BR(H)-11 राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण कमांक 1515 –तीन /2003 विविध जिला......नरसिंहपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एंव अभि.के हस्ता.
16-11-15	म0प्र0शासन की ओर से श्री राजीव गौतम पैनल लायर। अनावेदक सरपंच ग्राम पंचायत मुड़िया विकास खंड नरसिंहपुर को कई वार सूचना पत्र जारी किये , किन्तु वह अनुपस्थित रहे। अतः उनके विरुद्ध एकपक्षीय है। म0प्र0शासन के पैनल लायर श्री राजीव गौतम के तर्क सुने तथा कलेक्टर, नरसिंहपुर के प्रकरण कमांक 62 अ 59/97-98 का अवलोकन किया गया। 2/ म0प्र0शासन के पैनल लायर के तर्को पर विचार करने एंव कलेक्टर नरसिंहपुर व्दारा भेजे गये प्रस्ताव कमांक 13646/प्र0कले0/2001 दिनांक 12-11-2001 के अवलोकन से पाया गया कि ग्राम बाघपोड़ी तहसील नरसिंहपुर स्थित खसरा नंबर 11 एंव 12 निजी भूमिस्वामी के हैं और इन्हीं भूमियों में से रकबा 0.433 हैक्टर तत्कालीन नायव तहसीलदार नरसिंहपुर द्वारा प्रकरण कमांक 1 अ 65/97-98 में प्रस्तुत प्रतिवेदन दिनांक 29-11-1996 पर से तत्कालीन कलेक्टर ने प्रकरण कमांक 62 अ 59/97-98 में पारित आदेश दिनांक 29-1-97 से उक्त रकबे को आबादी घोषित करने की भूल हुई है जो प्रत्यक्षदर्शी भूल होने सेकलेक्टर नरसिंहपुर ने प्रस्ताव दि. 12-11-2001	

से आदेश दिनांक 29-1-97 के पुनरावलोकन की अनुमति मांगी है।

3/ उक्त तथ्यों के प्रकाश में तथा कलेक्टर नरसिंहपुर के प्रकरण क्रमांक 62 अ 59/97-98 में पारित आदेश दिनांक 29-1-97 के अवलोकन पर स्पष्ट है कि तत्कालीन कलेक्टर नरसिंहपुर से हुई भूल के कारण निजी भूमिस्वामी की भूमि में से रकबा 0.433 हैक्टर आबादी घोषित करने की त्रुटि हुई है जिसे सुधारा जाना आवश्यक है। अतः म0प्र0भू. राजस्व संहिता, 1959 की धारा 51 के अंतर्गत तत्का. कलेक्टर नरसिंहपुर के प्रकरण क्रमांक 62 अ 59/97-98 में पारित आदेश दिनांक 29-1-97 के पुनरावलोकन की अनुमति प्रदान की जाती है।

4/ प्रकरण अंक से कम किया जाकर दा.रि. किया जावे।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर